UPMI010031742026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, मीरजापुर

पीठासीन अधिकारी : सन्तोष कुमार गौतम (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1085 सन् 2026

मनीष कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र रामजी, निवासी–जलालपुर, मैदान, भरेहटा, थाना–चुनार, जनपद मीरजापुर। .....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन,

मु0अ0सं0–92 सन् 2026

धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0
थाना–अदलहाट, जनपद–मीरजापुर।

दिनांकः 19.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त मनीष कुमार की ओर से धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना–अदलहाट, जनपद–मीरजापुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ के द्वारा दिनांक 30.04.2026 को फर्द बरामदगी के आधार पर थाना–अदलहाट में इस कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 30.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीगण सरकारी वाहन बगरज देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी अन्दर थाना क्षेत्र रात्रिगस्त, तलाश वांछित अपराधी व संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन चेकिंग में मामूर होकर मुखबिर खास सूचना मिली की एक मैजिक गाड़ी जिस पर गोवंश लदे है, तथा तस्करी के लिए बदमाश चैनपुर बिहार ले जाने वाले हैं। मुखबिर खास द्वारा यह भी बताया गया कि बेचूबीर के जंगल थाना क्षेत्र अहरौरा से गोवंश मैजिक पर लोड होकर चैनपुर बिहार जायेंगे जो हाजीपुर मोड़ से ही क्रास होंगे। यदि आप लोग घेराबन्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान हाजीपुर मोड़ पर पहुॅचा गया और वाहन चेकिंग की जाने लगी कि एक तेज रफ्तार मैजिक घाटमपुर अहरौरा स्टेट हावे की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी कि हम पुलिस वालों को देखकर वह मैजिक बहुत तेजी से हाजीपुर मोड़ पर मुड़कर गांव की तरफ भागने लगा और मुखबिर द्वारा बताया गया कि यह वही मैजिक है, जिस पर गोवंश लदा है। पुलिस वाले मैजिक का पीछा किये और चालक मैजिक छोड़कर भागने लगा, पुलिस वालों उन लोगों का पीछा करने लगे लगभग 500 मीटर बदमाश भागने के बाद पूरब दिशा की तरफ जंगल व घरे पेड़ों की तरफ भागने लगे। पुलिस वाले घेरकर पीछा करते हुए उन दोनों बदमाशां को जंगज में घेर लिया तथा जरिए आरटी सेट से थाना कार्यालय पर अवगत कराते हुए डीसीआर कन्ट्रोल तथा थाना अहरौरा व थाना जमालपुर मय फोर्स व आस पास की पीआरवी को घेरा बन्दी करने हेतु कहा गया। बदमाश पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये और तब पुलिस वाले

अपने आत्मरक्षार्थ फायर किये और घायल अवस्था में पड़े बदमाशों को घेरघार कर पकड़ लिया गया, एक ने अपना नाम बाबू सोनकर उर्फ रामजनम तथा दूसरे ने अपना नाम भोला हरिजन बताया तथा मैजिक के स्वामी का नाम मनीष बताया गया तथा मौके से 2 अदद तमन्चा 315 बोर मय 4 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद मो0फोन रियलमी, एक अदद मोबाइल फोन एसीई तथा मैजिक वाहन संख्या–यू.पी.63 बीटी 1047 से 06 राशि गोवंश बरामद किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण कथानक असत्य, मनगढंत व बनावटी तथ्यों पर आधारित है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को गलत तौर पर बतौर वाहन स्वामी अभियुक्त बनाया गया है, जबकि घटना स्थल पर प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपने वाहन संख्या–यू.पी. 63बीटी1047 को दिनांक 23.02.2025 को मु0–90,000/रूपये में समय 5.40 बजे शाम को प्रेम कुमार यादव पुत्र मुराली यादव को विक्रय कर दिया था। वाहन का किस्त बताया होने के कारण किस्त अदायगी के पश्चात् उक्त वाहन प्रेम कुमार यादव के नाम से ट्रान्सफर होना था। दिनांक 23.02.2025 से उक्त वाहन क्रेता प्रेम कुमार यादव के घर पर उनसे देखरेख व संरक्षण में थी और क्रेता उक्त वाहन का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार करता था । उक्त वाहन अभी तक हम प्रार्थी के नाम पंजीकृत होने के कारण गलत तौर पर पुलिस द्वारा ई–चालान एप के माध्यम से बतौर वाहन स्वामी अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थ ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी बिलकुल निर्दोष है। घटना के दिन प्रार्थी घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। घटना के दिन दिनांक 30.04.2026 को प्रार्थी अपने कम्पनी महामाया चुनार के पास जिला मीरजापुर में काम कर रहा था। प्रार्थी न्यायालय में आत्म समर्पण कर जिला कारागार में निरूद्व है। कथित बरामदगी का कोई भी निष्पक्ष व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सारे साक्षी पुलिस वाले है। बरामद गोवंश से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त मैजिक वाहन संख्या–यू.पी.63 बीटी1047 का स्वामी है और उक्त मैजिक से ही गोवंशों की तस्करी की जा रही थी, जिसके बारे में प्रार्थी/अभियुक्त को बखूबी जानकारी थी। उक्त वाहन का प्रार्थी/अभियुक्त स्वामी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से उसके वाहन से गौवंशीयों का अवैध रूप से राज्य से बाहर परिवहन करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अन्तर्निहित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट फर्द बरामदगी के आधार पर पंजीकृत की गयी है एवं आवेदक/अभियुक्त के वाहन संख्या–यू.पी.63 बीटी1047 से सह अभियुक्त द्वारा परिवहन किये जा रहे 6 गोवंश बरामद किये गये हैं, जो प्रथमदृष्ट्या आवेदक/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता को दर्शाता है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 7क का उद्धरण समीचीन प्रतीत होता है, जो यह उपबन्धित करता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या उसके स्वयं के बन्ध पत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि–

(क) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है, और

(ख)–जहॉ विशेष लोक अभियोजक, आवेदक का विरोध करता है, न्यायालय को यह विश्वास न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असम्भव है।

7. उक्त प्रावधान द्वारा अपेक्षित इस आशय का समाधान न्यायालय को प्राप्त नहीं कि आवेदक/अभियुक्त अभिकथित अपराध का दोषी नहीं है एवं अभियुक्त को रिहा किये जाने की स्थिति में उसके द्वारा जमानत की अवधि में किसी अपराध के किये जाने की सम्भाव्यता भी नहीं है। यद्यपि कि स्थानीय थाने द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु उसके उसके वाहन से बरामदशुदा गोवंशों तथा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के धारा 7क के उपबन्धों के आलोक में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मनीष कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

फौजदारी लिपिक इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिला कारागार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में संप्रेक्षण, यदि कोई हो तो, मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे संप्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से किये गये हैं।

दिनांकः–19.06.2026

(संतोष कुमार गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 1
मीरजापुर।
J O.Code – UP2396